न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथ राम ॥, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :– 60/2021 अन्तर्गत धारा 251 'क' Rt Act

अनवान :–

प्रार्थीगण:–

1.करीम पुत्र मीरा 2.अमीनत पत्नि मीरा
3.सखी पुत्र हाजी, जातियान मुसलमान
निवासी तमाची की गफन, तहसील चौहटन
जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण:–

1. तहसीलदार चौहटन

वकील प्रार्थीगण :– श्री रामजीवन विश्नोई

(उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन)

निर्णय

दिनांक 22.04.2022

प्रार्थीगण करीम पुत्र मीरा, वगैरा जाति मुसलमान, निवासी तमाची की गफन, तहसील चौहटन जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (क) राजस्थान काश्तकारी / संशोधन अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण सदभावी काश्तकार है। प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत मौजा तमाची की ढाणी, तहसील चौहटन जिला बाड़मेर में खसरा नं. 12 रकबा 52.01 बीघा व खसरा सं. 35 रकबा 02.11 बीघा कुल रकबा 54.12 बीघा का आया हुआ है। जिस पर उसके रहवास हेतु ढाणिया, टांके व मवेशियों के बाड़े आदि बने हुए है। प्रार्थीगण की उक्त जोत एवं ढाणियों पर आने जाने के लिए मौजा तमाची की गफन में विप्रार्थी का खसरा सं. 92/15 रकबा 04.0 एवं खसरा सं. 89/15 रकबा 01.11 बीघा भूमि जो सरकारी पड़त भूमि आने जाने के लिए एक मात्र रास्ता है। अतः प्रार्थीगण को के खसरा सं. 92 रकबा 04.09 बीघा एवं खसरा सं. 89/15 रकबा 01.11 बीघा मे रास्ता दिया जावे गण की जोत पर आने जाने के लिए अन्य कोई विकल्प नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.06.27 17:00:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को नोटिस जारी किये गए। विप्रार्थी का नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ। चाहे गये रास्ते के संबंध में तहसीलदार चौहटन से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार चौहटन से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई।

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित हुए। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण वकील ने आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार चौहटन से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई उसी अनुसार रास्ते के आदेश किया जावे।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । सलंग्न दस्तावेजों एवं तहसीलदार द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। जैसा कि मौका रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी के खेत से गांव , आबादी, बस स्टेशन , स्कूल आदि तक आवागमन का कोई अन्य रास्ता नहीं है।

अतः प्रार्थीगण की मांग उचित प्रतित होती है और प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है न्याय संगत है। प्रार्थी को जो दिया जाना है। उसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	खसरा संख्या	रकबा बीघा में	किस्म	रास्ते की चौड़ाई फीट में	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि बीघा	मौजा	खातेदार का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	92/15	04.09	सिवायचक सरकारी भूमि बा.सो.	20 फीट	00.13	तमाची की गफन	सिवायचक सरकारी भूमि राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौहटन
2	89/15	01.11			00.07		

प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस व फर्द मौका में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि ***प्रार्थीगण द्वारा वर्णित उपरोक्त खसरा नं. 92/15 एवं 89/15 के अंदर से जो रास्ता चाहा गया है वह आंशिक नक्शा में आसमानी रंग से दर्शाया गया है उक्त रास्ता प्रार्थीगण को दिया जाता है*** ... कोई मकान व कीमती पेड़ और न ही किसी प्रकार का बेरा/टांका बना हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.06.27 17:00:19 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधित) ... 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/ डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकता है। और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रस्तुत आवेदन में प्रस्तावित नए रास्ते में कोई मकान व कोई कीमति पेड़ या अन्य कोई संरचना नहीं है। अतः प्रभावित (पक्षकारों) / विप्रार्थीगण को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में प्रार्थीगण द्वारा देय होगी और प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों को दी जाने वाली राशि नए रास्ते के लिए प्रस्तावित समाविष्ट भूमि के रकबे की डीएलसी द्वारा निर्धारित दर से दौगुणा राशि के बराबर होगी। डीएलसी द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक की ही मान्य होगी और इसी आधार पर प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण/प्रभावित पक्षकारों को भुगतान करना अनिवार्य होगा।

प्रार्थीगण के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) – (b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित आसमानी रंग से दर्शाया गया 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। तथा प्रार्थीगण को उपरोक्त खसरान में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में सलंग्न मौका नक्शा ट्रेस में आसमानी रंग से दर्शाया गया प्रस्तावित नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग गणना की जायेगी।
2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों (विप्रार्थीगण) को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में किया जो डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा के बराबर होगी।
3. प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का विनिश्चय किया जाएगा कि

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.06.27 17:00:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

विप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इनकार करता हो तो प्रार्थीगण द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी । क्षतिपूर्ति राशि तहसील में जमा करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।

4. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "**रास्ता**" के रूप में अभिलिखित की जायेगी। जो कि सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होगा।
5. प्रार्थीगण को उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते में केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।
6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थीगण को नया तथा 20 फीट चौड़ा रास्ता दिए जाने का आदेश आज दिनांक 22.04.2022 को दिया जाता है। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

(भागीरथ राम ।।)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.06.27 17:00:19 IST
Reason: SelfAttested

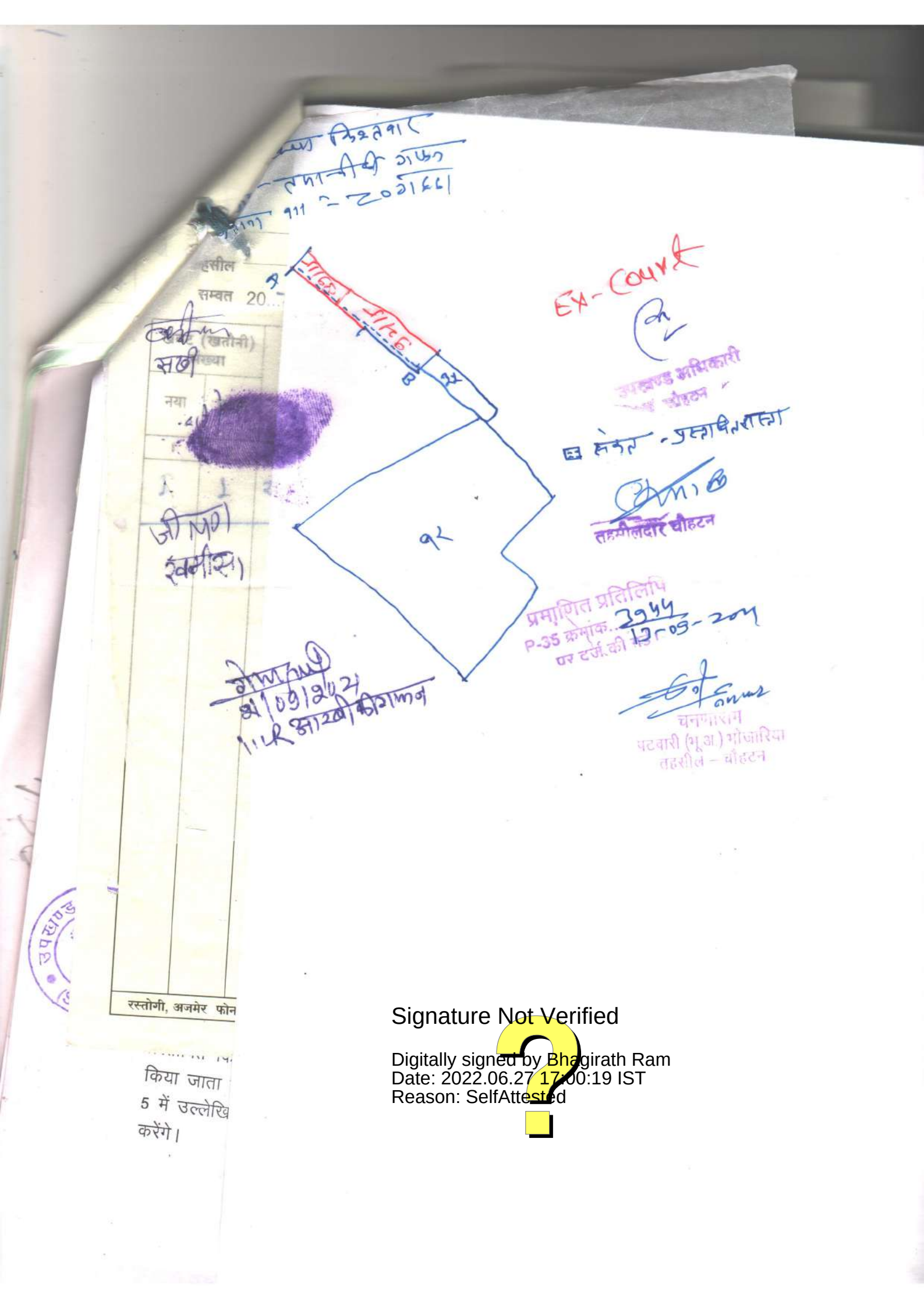

किस्तवार

तहसील

सम्वत 20...

(खतौनी)

संख्या

नया

जी.म.(खमीस)

EX-COURT

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

तहसीलदार चौहटन

प्रमाणित प्रतिलिपि
P-35 क्रमांक 2944
पर दर्ज की 17-09-2011

चनणाराम
पटवारी (भू.अ.) भोजारिया
तहसील – चौहटन

21/09/2021

रस्तोगी, अजमेर फोन

किया जाता
5 में उल्लेखि
करेंगे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.06.27 17:00:19 IST
Reason: SelfAttested